



नस्ती कमांक......म.स.सं/2015 कक्ष स्थापना पृष्ठ कमांक......

विषय :- श्रीमती दुर्गा जयसवाल, सहायक निर्देशिका की व्यक्तिगत नस्ती।

कृपया पी.यू.डी. का अवलोकन कीजिये। संचालनालय का पत्र कं. 4793 दि. 07.12.15 द्वारा श्रीमती दुर्गा जायसवाल सहायक निर्देशिका के 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष आयु किये जाने के संबंध में मान. उच्च न्यायालय द्वारा डब्लयु. पी. 1381 / 2014 द्वारा दायर रिट में पारित आदेश दि. 03.02.14 के परिपेक्ष्य में प्रकरण में रिट अपील दायर किये जाने हेतु शासकीय अभिवक्ता मान. उच्च न्याया. जबलपुर से अभिमत चाहा गया था। श्री जहानवी पंडित डिप्टी एडवोकेट जनरल मान. उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र दिनांक 04.01.16 का अवलोकन करे जिसके द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार अभिमत दिया गया है :--

" All the other writ petition as aforesaid were disposed of by the hon'ble single bench of the hon'ble court relying upon the decision passed in case of yugal kishore sharma (supra) therefore, i opine that the order passed in writ petition no. 4030/2009 may be challenged by filling writ appeal mainly on the ground interalia that the instructors in women weaving center can not be equated to the post of teachers working in the government educational institution.

thus it is opined accordingly. "

प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता जबलपुर से प्राप्त उक्त अभिमत पर शीघ्र कार्यवाही करने तथा रिट अपील दायर किये जाने की अनुमति विधि विभाग से प्राप्त करने हेतु नस्ती शासन को अंकित करना चाहेगे।

05/119


A 3711, 3,3m?

कल्पना श्रीवरितव आयुर्वत

महिला संशिवतकर्न

मध्यप्रदेश शासन

मिल्ला एवं बाल । जनस



विषय :-याचिका क्रमांक 1381 / 2014 श्रीमती विषय: जायसवालं विरूद्ध म.प्र.शांसन एवं अन्य। छब्बीस-२ सचिवालय पूर्व पृष्ठ से :--कृपया टीपं पृष्ठ 02 / एन का अवलोकन करें। विधि और विधायी कार्य विभाग की टीप के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने हेतु नस्ती आयुक्त, महिला संशक्तिकरण संचालनालय को अंकित की जाना प्रस्तावित है। अन्-अधि. महिला एवं बाल विकास विभाग स्या(न्याप)

का विभाग मंत्री म.बा.वि.

दुर्गा

मंत्रालय, भोपाल

100016 100016 812116

मुनी मुबा.वि. छब्बीस-२ सचिवाल

विषय: याचिका क्रमांक 1381/2014 श्रीमती दुर्गा जायसवाल विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य।

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से :-

कारी पा शामकी हिला का कार तथा विकेड की अभिन्न अपलब्द की की अन उत्तर की अभिन्न अपलब्द कार्य के प्रदेश कर शकी वापक की अपनी में

Wante alm Some

क्रिकी

ministration of the second programme and the s

3622

St Prout

0



विषय: - श्रीमती दुर्गा जायसवाल, सहायक निर्देशिका की व्यक्तिगत नस्ती।

अवर सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग की टीप दिनांक 28.01.16 के संदर्भ में प्रकरण संबंधी संक्षेपिका/ शासकीय अधिवक्ता का अभिमत/ अपील के आधार निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण :-

श्रीमती दुर्गा जायसवाल, महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक सिलाई निर्देशिका, के पद पर कार्यरत हैं। संबंधित द्वारा दिनांक 29.11.2013 को आवेदन प्रस्तुत कर सेवा निवृत्ति 62 वर्ष की आयु में किये जाने हेतु निवेदन किया गया। उक्त आवेदन विचारोपरांत संचा. के प. क. 5390 दि. 31.12.2013 द्वारा पत्र अमान्य किया गया।

संबंधित द्वारा पुनः दिनांक 06.01.2014 को आवेदन प्रस्तुत कर सेवानिवृति अवधि 62 वर्ष किये जाने बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर विचार करते हुए संचालनालय महिला सशक्तिकरण म.प्र. के पत्र कंमाक 5852 भोपाल दिनांक 03.02. 2014 द्वारा अवगत कराया गया कि म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत संचालित संस्थाएँ शैक्षणिक संस्थान न होने के कारण 62 वर्ष आयु पर सेवानिवृति मान्य नहीं है, अतः आवेदन अमान्य किया जाता है।

संचालनालय महिला सशक्तिकरण के आदेश क. 5299 दिनांक 12.12.2013 द्वारा संबंधित की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 28.02.2014 को सेवा निवृत्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध श्रीमती दुर्गा जायसवाल, सहायक निर्देशिका ने 60 वर्ष में की गई सेवानिवृति को मान. न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी गई कि वह शिक्षक हैं और राज्य शासन द्वारा शिक्षक को 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने के आदेश दिये गये हैं।

श्रीमती दुर्गा जायसवाल द्वारा दि. 11.02.14 को याचिका कंमाक 1381/2014 में मान. उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रति के साथ आवेदन प्रस्तुत कर कार्य अवधि दो वर्ष बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया। मान. उच्च न्यायालय का निर्णय निम्नानुसार है :--

"Learned government Advocate appearing on behalf of the state of M.P. does not dispute that decision in Ku. Chandra Kakker and Yugal Kishore Sharma (supra) has been implemented.





नस्ती कमांक......म.स.सं/2015 कक्ष स्थापना पृष्ठ कमांक....23

विषय: - श्रीमती दुर्गा जायसवाल, सहायक निर्देशिका की व्यक्तिगत नस्ती।

In view whereof, since the Instructor in the Women Weaving Centre has already been held to be a teacher entitled for an extended age of superannuation of 62 years, the petitioner can not be discriminated.

In the result, it is held that the petitioner being a teacher, has a right to serve till 62 years being the age superannuation.

Petition is allowed to the extent above. No costs."

शासकीय अधिवक्ता का मतः-

शासकीय अभिवक्ता द्वारा दिनांक 04.01.16 को निम्नानुसार अभिमत दिया गया है :-

" All the other writ petition as aforesaid were disposed of by the hon'ble single bench of the hon'ble court relying upon the decision passed in case of yugal kishore sharma (supra) therefore, i opine that the order passed in writ petition no. 4030/2009 may be challenged by filling writ appeal mainly on the ground interalia that the instructors in women weaving center can not be equated to the post of teachers working in the government educational institution.


thus it is opined accordingly. "

अपील का आधार :-


दिनांक 28.02.2016 को श्रीमती दुर्गा जायसवाल की 62 वर्ष की आयु पूर्ण हो रही है। म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क. 271/112/2015/50–1 दिनांक 04.02.2015 में यह आदेशित किया गया है कि विभाग अंतर्गत शैक्षणिक संस्था में कार्यरत कर्मचारी छात्र छात्राओं का अध्यापन का कार्य नहीं करते बल्कि सिलाई प्रशिक्षक आदि के रूप में कार्य करते है। अतः वित्त विभाग द्वारा विभाग के अधीन संचालित विभिन्न शासकीय संस्थाओं में कर्मचारियों की सेवानिवृति आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष किये जाने पर असहमति व्यक्त की गई है। श्रीमती दुर्गा जायसवाल को 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किये जाने पर शासन को याचिका कर्ता को अतिरिक्त भुगतान करना होगा एवं वित्त विभाग के निर्देशों के तहत शासकीय कर्मचारियों के 60 वर्ष में सेवानिवृत्त करने के आदेशों का पालन नहीं हो सकेगा एवं शासकीय धन की हानि होगी।



नस्ती कमांक.......म.स.सं/2015 कक्ष स्थापना पृष्ठ कमांक....24












नस्ती कमांक......म.स.सं / 2015 कक्ष स्थापना पृष्ठ कमांक......

विषय:- श्रीमती दुर्गा जायसवाल, सहायक निर्देशिका की व्यक्तिगत नस्ती।



विषयः -याचिका क्रमांक 1381/2014 श्रीमती दुर्गा जायसवाल विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य।

का विभाग मंत्री म.बा.वि.

पूर्व पृष्ठ से :-

कृपया टीप 4/एन का अवलोकन करें। विधि और विधायी कार्य विभाग के चाहेनुसार प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता का मत तथा निर्णय की प्रतियाँ चाही गई है। उक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु नस्ती मूलतः वि.क.अ.-सह-आयुक्त, महिला सशक्तिकरण संचालनालय को अंकित की जाना प्रस्तावित है।

अनु अधि. (अयः पर)

मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभा

1-41.04141- ·

िकित उसी विकासी कार्स विकास माद्रमेकार तत्था मृ. आजास्था अस्ट्राक्या शामव त्था किकी की यह इवस "डा "स्वं" व" पर संराज्य की अह है। द्वारम नक ती आक्रान की ट्रेंगित रिक आर्थ हेत प्रस्ति।

वि.क.अ.-सह-आयुक्त महिला संशक्तिकरण,

मं**स्त्री** म.बा.वि. छब्बीस-२ सचिवालय

विषय: -

याचिका क्रमांक 1381 / 2014 श्रीमती दुर्गा जायसवाल विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य ।

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से :-

कृपया वि.क.अ.—सह—आयुक्त, महिला सशक्तिकरण संचालनालय से प्राप्त नस्ती का अवलोकन करें। प्रकरण में विधि विभाग द्वारा शासकीय अधिवक्ता का मत तथा निर्णय की प्रति चाही गई थी, जो संचालनालय से जानकारी प्राप्त हो गई है। (पृ. 3–8/सी)

2/ अतः याचिका क्रमांक 1381/2014 श्रीमती दुर्गा जायसवाल विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.03.2014 के विरूद्ध रिट अपील दायर करने की अनुमति हेतु नस्ती विधि और विधायी कार्य विभाग को अंकित किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

17.316

अन् अधि.

2/3:4

पुम्रिय सन्विव

Faller Farmer,

2817/3 12817/3

18/3/10

रंगली उड़कें सचिव

(जे.एन.क) स्वीटिया) प्रमुख (विव महिला एवं पाल विकास

186/168 186/168 186/16 186/168

शाकेमुभी—106— उनिशोकेमुभी—17-7-15—5,00,000.